न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2015

अपीलांट

1. खेताराम पुत्र चुतराराम
2. मूलाराम पुत्र चुतराराम
3. गेनाराम पुत्र कानाराम
4. गंगाराम पुत्र कानाराम
5. अचलाराम पुत्र वेहनाराम
6. हरखाराम पुत्र वेहनाराम
7. मु0 मीरों बेवा वेहनाराम जाति जाट निवासी रामसर कुंआ (चौखला) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. दुर्गाराम पुत्र अर्जनराम
2. हरूराम पुत्र अर्जनराम
3. मानाराम पुत्र अर्जनराम
4. तेजाराम पुत्र अर्जनराम
5. रावताराम पुत्र पदमाराम
6. जेहाराम पुत्र पदमाराम
7. मु0 अणदू बेवा पदमाराम
8. कंवराराम पुत्र भोमाराम
9. रामाराम पुत्र भोमाराम
10. मु0 गंवरी बेवा भोमाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ (चौखला) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
11. मैनेजर एस.बी.बी.जे. शाखा कवास तहसील बायतु
12. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 02.01.2007 द्वारा तहसीलदार बायतु।

उपस्थित– 1. अपीलांटस संख्या 01, 02, 05 व 06 उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 01, 02, 05, 06 व 08 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 12 की ओर से ना.तहसीलदार उप0।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 391 रकबा 512.11 बीघा तथा खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा गैर मुमकिन ढाणी मौजा रामसर कुंआ तहसील बायतु में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 का संयुक्त कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा में गैर मुमकिन ढाणी अपीलांटस को सुपुर्द कर रेस्पोडेंटस हमेशा के लिए ढाणी का परित्याग कर नई ढाणी मे जाकर बस गये परन्तु जमीन एवं ढाणी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से दोनो पक्षकारो ने खेत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया। पक्षकारो द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमियों का बाहामी बंटवाड़ा कब्जा काश्त अनुसार करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं पक्षकारान द्वारा माफिक कब्जा काश्त एवं रहवास अनुसार खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा गैर मुमकिन ढाणी जिसमें रहवास एवं कब्जा अपीलांटस का था, को अपीलांटस के नाम दर्ज करना तय किया। परन्तु रेस्पामेंटस सं0 01 से 10 ने अपीलांटस के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा गेर मुमकिन ढाणी विभाजन की भूमि दर्शाते हुए तहसीलदार बायतु से बंटवाड़ा आदेश दिनांक 02.01.2007 पारित कराया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांटस के अनपढ़ होने से उसे ज्ञान नहीं हो सका। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 द्वारा अपीलांटस को उसकी ढाणी से जबरल बेदखल करने का प्रयास करने पर अपीलांटस को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे। पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त विभाजन आदेश के नक्शे का ज्ञान अपीलांटस को दिनांक 04.12.2014 को हुआ तथा उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 23.12.2014 को प्राप्त हुई। उक्त विभाजन आदेश दिनांक 02.01.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई।

4. रेस्पोडेंट सं. 01, 02, 04, 05, 06 व 08 ने कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। दोनो पक्षकारान की सहमत होने पर हस्ताक्षर किये एवं तहसीलदार बायतु के समक्ष दोनो पक्षों द्वारा उपस्थित होकर बंटवाड़ा सही होना स्वीकार किया गया। विभाजन आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलांटस को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी शुरू से थी, परन्तु तत्समय इनके द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया गया। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलांटस संख्या 01, 02, 05 व 06 का कथन हैं कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा जिसमें अपीलांटस की ढाणियॉ एवं रहवास है, को अपीलांटस के हिस्से में ही रखने की सहमति हुई थी परन्तु अपीलांटस के अनपढ़ एवं निरक्षर होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 ने हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये। विभाजन आदेश बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भारी अन्तर है, जिसके कारण अपीलांटस की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेटस के कब्जे में चले गये। अपीलाधीन विभाजन आदेश अपीलांटस की गैर हाजरी में एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल है। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक **02.01.2007** खारिज किया जाए।

6. हमने उभय पक्षो को सुना। अपीलांटस का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। तहसीलदार बायतु द्वारा दिनांक 02.01.2007 में किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्टस को उक्त विभाजन आदेश का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

वास्तविक ज्ञान दिनांक 04.12.2014 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के कथनो पर मनन किया। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट, अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 02.01.2007 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 391 रकबा 512.11 बीघा तथा खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा गैर मुमकिन ढाणी मौजा रामसर कुंआ तहसील बायतु में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा गैर मुमकिन ढाणी को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार भी खसरा नंबर 390 रकबा 1.14 बीघा गै.मु. ढाणी में अपीलांट खेताराम की आवासीय ढाणी बनी हुई है, परन्तु बंटवारा होने पर रेस्पोडेंट दुर्गाराम वगैरहा के नाम रेकर्ड में दर्ज हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2007 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए फर्द मौका अनुसार पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)